तार : नवसम
दूरभाष : 0172-2638838
फैक्स : 0172-2638729
ई-मेल : nvsro_chd@dataone.in
वैब : www.nvsrochd.gov.in
नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
(भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय :
बे० नं० 26-27, सैक्टर 31 ए,
चण्डीगढ़-१६००३०

Gram : NAVSAM
Tel : 0172-2638838
Fax : 0172-2638729
E-mail : nvsro_chd@dataone.in
Website : www.nvsrochd.gov.in
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
Ministry of Human Resource Development
(Department of School Education & Literacy)
(Govt. of India)
Regional Office :
Bay No. 26-27, Sector 31-A,
Chandigarh - 160030

संदर्भ संख्या : फ–3–23/राजभाषा/न.वी.एस./आर–ओ चण्डीगढ़/2013/2644-46 दिनांक 22-02-2016

कार्यालय आदेश

नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय के पत्र संख्या फ.1–8/2014–नविस (हि.प्र.)/132 दिनांक 04.02.2016 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में अंकेक्षण अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि ज.न.वि. विद्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान इस बात की भी जांच की जाए कि संबंधित ज.न.वि. द्वारा विज्ञापनों / प्रेस विज्ञप्तियों और पुस्तकालयों की पुस्तकों आदि पर खर्च की गई कुल राशि का कम से कम 50% हिंदी भाषा के लिए किया गया हो तथा कार्यालय द्वारा खरीदे जाने वाले छपे हुए रजिस्टर एवं सेवा पुस्तिकाओं के शीर्ष द्विभाषी हो और साईन बोर्ड, रबड़ की मोहरे, सील विजिटिंग कार्ड, चार्ट, आमंत्रण पत्र नक्शे आदि द्विभाषी बनवायें या खरीदें जाये। अगर उक्त निदेशों का किसी जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा अनुपालन नही किया गया पाया जाता है तो इसका उल्लेख संबंधित विद्यालय की लेखा परीक्षा रिर्पोट में अनिवार्य रुप से किया जाये और साथ ही भविष्य में सभी लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) अनिवार्य रुप से प्रस्तुत की जाये।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(एम.के. शर्मा)
उपायुक्त

प्रति :

1. सहायक आयुक्त एवं संकुल प्रभारी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर एवं चण्डीगढ – सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, समस्त जवाहर नवोदय विद्यालय, चण्डीगढ संभाग में अंर्तगत सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु।
3. आहरण एवं सविंतरण अधिकारी, नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ – अनुपालन हेतु।
4. श्री अनिल वाही, सी.ओ. नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ – चण्डीगढ की वेबसाईट पर डालें।
5. समस्त अंकेक्षण सहायक, नविस क्षे.का. चण्डीगढ को इस निर्देश के साथ कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में अनिवार्य रुप से तैयार करें।

D:\Hindi folder\3-23 Hindi Rajbhasha\Letter.doc

नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
भारत सरकार
बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) -201309
दूर. 0120-2405969,70,71,72,73, फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of School Education & Literacy)
Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA (U.P.)- 201309
Tel. 0120-2405969,70,71,72,73, Fax : 0120-2405182
वेबसाइट/ Website : www.nvshq.org

फा.सं. 1-8/2014-न.वि.स. (हि.प्र.) /132

दिनांक: 04.2.2016

2066
08-02-16

सेवा में,

उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति,
सभी संभागीय कार्यालय

विषय: ज.न.वि./क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद एवं विज्ञापनों/प्रैस विज्ञप्तियों, लेखन सामग्री, आदि पर व्यय की जाने वाली राशि का 50% हिंदी भाषा में व्यय किए जाने की जांच करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.2.2015/04.3.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत निदेश दिए गए थे कि ज.न.वि./क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान इस बात की भी जांच की जाए कि संबंधित ज.न.वि./क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विज्ञापनों/प्रैस विज्ञप्तियों और पुस्तकालयों की पुस्तकों, आदि पर खर्च की गई कुल राशि का कम से कम 50% हिंदी भाषा के लिए किया गया है तथा कार्यालय द्वारा खरीदे जाने वाले प्रिंटेड रजिस्टरों एवं सेवा पुस्तिकाओं के शीर्ष द्विभाषी है और साइन बोर्ड, रबड़ की मोहरें, सील, विजिटिंग कार्ड, चार्ट, आमत्रण पत्र, नक्शे, आदि द्विभाषी बनवाए/खरीदे जा रहे हैं। ये भी निदेश दिए गए थे कि उक्त बातों का उल्लेख लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनिवर्य रूप से किया जाए और लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्विभाषी(हिंदी एवं अंग्रेजी) में प्रस्तुत की जाए। परन्तु संसदीय राजभाषा समिति द्वारा ज.न.वि./क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षण के दौरान देखा गया कि लेखापरीक्षा टीम द्वारा उक्त निदेशों का अनुपालन गंभीरता से नहीं किया जा रहा है।

अतः पुनः निदेशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिए जाए कि ज.न.वि./क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान इस बात की भी जांच की जाए कि संबंधित ज.न.वि./क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विज्ञापनों/प्रैस विज्ञप्तियों और पुस्तकालयों की पुस्तकों, आदि पर खर्च की गई कुल राशि का कम से कम 50% हिंदी भाषा के लिए किया गया है तथा कार्यालय द्वारा खरीदे जाने वाले प्रिंटेड रजिस्टरों एवं सेवा पुस्तिकाओं के शीर्ष द्विभाषी है और साइन बोर्ड, रबड़ की मोहरें, सील, विजिटिंग कार्ड, चार्ट, आमत्रण पत्र, नक्शे, आदि द्विभाषी बनवाए/खरीदे जा रहे हैं। साथ ही उक्त बातों का उल्लेख लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से किया जाए और लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्विभाषी(हिंदी एवं अंग्रेजी) में प्रस्तुत की जाए।

कृपया उक्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें।

भवदीय,

(नरेश कुमार)
संयुक्त आयुक्त(प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

1. **सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), न.वि.स. मुख्यालय, नोएडा** –कृपया सभी न.वि.स. क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा में उक्त नियमों के अनुपालन की विशेष तौर पर जांच करें।
2. **वेबमास्टर. न.वि.स.** :- कपया इसे न.वि.स. की वेबसाइट पर डालें।